छत्तीसगढ़ में पर्यटन स्थलों का विकास

डॉ. अमन झा

सहायक प्राध्यापक

राजनिति विज्ञान विभाग

दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

यदि बालोद जिला को पर्यटक स्थल घोषित किया जाता है। तो यह बालोद वासियों के लिए गौरव की बात होगी इस बालोद जिला का नाम देश विदेश में जाना जायेगा । यह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बालोद के लिए गौरवानिवत करने वाला होगा । पर्यटक स्थल घोषित होने से यहां के पर्यटक स्थलों का विकास होगा प्राकृतिक वन सम्पदा की रक्षा होगी। सरकार के लिए राजस्व प्राप्ति का स्त्रोत उत्पन्न होगा, साथ ही जिला को विकास का अवसर प्राप्त होगा । पर्यटक स्थल घोषित हो से सामाजिक एवं आर्थिक लाभ प्राप्त होगा ।

होटल व्यवसाय :–

पर्यटक स्थल घोषित होने से होटल व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। यहां पर्यटकों के ठहरने के लिए होटल का निर्माण किया जायेगा। एक सितारा होटल या दो सितारा होटल का निर्माण होने से पर्यटक यहां आने के लिए उत्साहित होगें। होटल में खाने की व्यवस्था उच्च क्वालिटी का होने से पर्यटक भोजन का आनंद उठायेगें ।

स्थानीय कलाकृति एवं उत्पादः–

पर्यटक स्थल पर खेत्र में बनाये जाने वाले उत्पाद जैसे :– हाथकरघा उघोग के उत्पाद, बांस उघोग क उत्पाद, मिट्टी के बर्तन आदि का प्रदर्शन एवं व्यवपार का स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा दिया जावेगा। जिससे स्थानीय कलाकृति को प्रोत्साहन प्राप्त होगा ।

स्थानीय कलाकरों को प्रोत्साहनः–

पर्यटकों के ठहरने के स्थान पर रात्रि में मनोरंजन कार्यक्रम का आयोजन किया जाये, जिससे स्थानीय कलाकरों को प्रोत्साहन मिलेगा। पर्यटक इस क्षेत्र की संस्कृति से परिचित होगें और छत्तीसगढ़ कार्यक्रम का आंनद लेगें। जिससे संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा ।

परिवहन एवं गाईड सुविधा :-

पर्यटकों के लिए पर्यटन स्थल तक जाने के लिए परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराये जाये, बालोद में स्थित पर्यटन एवं धार्मिक स्थल के लिए मिनी बस या कार की सुविधा पर्याप्त होगी। परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने से निजी वाहन मालिकों को आर्थिक लाभ होगा लोग पर्यटकों के लिए परिवहन उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित होगें ।

रोजगार मूलक के अवसर :–

बालोद जिला को पर्यटक स्थल घोषित करने से रोजगार के अवसर बढेगें, क्षेत्र का विकास होगा, रोजगार प्राप्त होने से लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। पर्यटक स्थल होने से संभावित रोजगार की स्थिति निम्न प्रकार से हो सकती है:–

1. होटल व्यवसाय में केन्द्र बिन्दु आदमबाद में उच्च क्वालिटी के होटल खोलने पर लगभग 20 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। इसी प्रकार प्रत्येक पर्यटन स्थल एवं मंदिर में औसतन 10 लोगों के आधार पर लगभग 200 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। कुल मिलाकर 200 लोगों का रोजगार होटल व्यवसाय में प्राप्त हो सकता है।

2. स्थानीय कलाकृति उत्पाद का प्रदर्शन एवं विक्रय करने के लिए प्रत्येक पर्यटन स्थल एवं धार्मिक स्थलों पर औसतन 10 लोगों को रोजगार प्राप्त होने की स्थिति में लगभग 200 लोगों का रोजगार प्राप्त होगा।

3. धार्मिक स्थलों पर फल एवं फूल का व्यवसाय करने वालों को रोजगार प्राप्त होगा। धार्मिक स्थलों पर औसतन 10 लोगों को रोजगार प्राप्त होने की स्थिति में लगभग 225 लोगों को का रोजगार प्राप्त हो सकता है।

4. केन्द्र बिन्दु आदमाबाद में पर्यटकों के मनोरजन के लिए स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहित करने पर स्थानीय कलाकरों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा । प्रत्येक विधा के कलाकारों को प्रोत्साहित करने से लगभग 50 लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकता है।

5. यातायात सुविधा उपलब्ध कराया जाता है। तो लगभग 50 लोगों को ड्रायवर एवं उनके सहायक के रुप में रोजगार प्राप्त हो सकता है। बालोद जिला को पर्यटक जिला घोषित किया जाता है तो औसतन लगभग (200+200+225+50+50) 725 लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होगें, जिससे उनके जीवन स्तर में इस प्रकार पर्यटन सुधार होगा।

बालोद जिले में एक प्रभावशाली आर्थिक अतिनिर्वाह के रूप में उभर कर आ सकता है। बालोद जिलें के पर्यटन स्थल पर कुछ असुविधाएं मिली है।

जैसे:–

अपेक्षित पर्यटन का विकास नही –

बालोद जिले के अनेक पर्यटन स्थल ऐसे है।

जिसका विकास अभी अच्छी तरह से नही हो पाया है। जैसे करकाभांट का पुरातात्विक स्थल का रख रखाव सही ढंग से नही हो पाया है।

पर्यटकों के हेतु यातायात के सुलभ साधान ही :–

अनेक पर्यटन स्थलों में आवागमन की उचित व्यवस्था आज भी नही हो पाई है। जैसे सियादेवी जाने के लिए रानी माई से आगे करीब 5 कि.मी. कच्चा रास्ता है जहां वर्षा ऋतु में जाने से परेशानी होती है।

पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों के लिए खानपान की उचित व्यवसथा नही–

बालोद जिले पर्यटन स्थलों पर उचित भोजन की उपलब्धता नही हो पाती है। बाहर से आये पर्यटकों को अच्छी होटल की व्यवस्था नही पाती है।

पर्यटन स्थलों का उचित प्रचार–प्रसार नही हो पाना–

बालोद जिले को पर्यटन क्षेत्र घोषित नही किया गया है । अतः जिले के पर्यटन क्षेत्र का उचित प्रचार–प्रसार नही हो पाया है।

पर्यटन स्थलों के बैनर, होर्डिंग की असुविधा :–

जिस प्रकार पंचमड़ी, उज्जैन, शिमला, अजंता एलौरा, शिरडी आदि पर्यटन स्थलों के होर्डिंग, बैनर, पोस्टर भिन्न बस स्टैण्ड रेलवे स्टेशन पर लगे होते है। ऐसी व्यवस्था बालोद जिलें के पर्यटन स्थलों की नही की गई है।

सुझाव :–

बालोद जिले के विभिन्न स्थल घोषित करने की मांग अलग अलग क्षेत्र के लोगों के द्वारा समय समय पर किया जाता है। पंडवान देव मंदिर गुजरा को उस क्षेत्र के आसपास गांव वालों के द्वारा मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री से पर्यटक स्थल घोषित करने की मांग की गई है।

इधर रानी माई मंदिर एवं सियादेवी मंदिर को पर्यटन स्थल घोषित करने की मांग आस पास के 12 गांव के लोग करते आ रहे है। सियादेवी में राज्य सरकार की सहायता से कुछ कार्य कराये भी गये है । इस प्रकार करहीभदर पर्रेगुड़ा क्षेत्र के लोगों के द्वारा भोलापठार को पर्यटक स्थल घोषित करने की मांग की जा रही है।

संगम स्थल पैरी को धार्मिक पर्यटन स्थल घोषित करने की मांग चौरेल, पैरी के लोगों के द्वारा किया जा रहा है । सारांश में कहा जा सकता है कि बालोद जिला को पर्यटक स्थल घोषित कर दिया जाना चाहिए । पर्यटक स्थल के लिए बालोद जिला में पर्याप्त पर्यटक एवं धार्मिक स्थल मौजूद है। पर्यटकों के लिए अलग अलग समय में अलग अलग स्थान उपलब्ध है ।

1. बरसात के मौसम में पर्यटकों के लिए सियादेवी का झरना, तांदुला का जलाशय, खरखरा का बांध का पिकनिक क्षेत्र, पंडवान देव मंदिर का पठार आदि ।

2. नवरात्रि के समय धार्मिक पर्यटकों के लिए गंगा मइया मंदिर, रानी माई मंदिर, सियादेवी मंदिर, कंकालिन मंदिर, महामाया मंदिर, हनुमान मंदिर कमरौद, विष्णु मंदिर ओटेबंध जलेश्वर देव मंदिर स्थान आकर्षित करता है।
3. प्राचीन दर्शनीय स्थल के पर्यटकों के लिए कपिलेश्वर मंदिर, बुढ़ा तालाब का खुला संग्रहालय, करकाभाट का पुरातन अवशेष आदि पर्यटकों को आकर्षित करता है ।
4. ठंड के मौसम में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पिकनिक स्थल के रुप में तांदुला तांदुला जलाशय, खरखरा जलाशय, सियादेवी मंदिर,भोलापठार,कंकालिन मंदिर कनेरी आदि स्थान पर्यटकों के लिए उपयुक्त स्थान है।
5. अंततः कहा जा सकता है। छत्तीसगढ के नवगठित जिला बालोद में पर्यटन विकास की अपार संभावना मौजुद हैं अतः जिला को पर्यटन स्थल घोषित किया जाना चाहिये ।